HISTORY, B.A. Hons. II - Paper II

CONTRIBUTION OF NEPOLEON - AS THE FIRST CONSUL (1799-1804)
(नेपोलियन की देन- प्रथम कान्सल के रूप में)

नेपोलियन ने जिस समय फ्रांस में प्रथम कान्सल का पद ग्रहण किया, उसके समक्ष अनेक समस्यायें विद्यमान थीं। फ्रांस की क्रांति तथा उसके बाद के दस वर्षों में उत्पन्न अराजकता एवं अव्यवस्था के कारण फ्रांस की स्थिति दयनीय थी। फ्रांस की पुरानी सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक व्यवस्था नष्ट हो गयी थी, अतः नेपोलियन के लिए यह आवश्यक था कि वह एक नवीन एवं सुदृढ़ व्यवस्था की स्थापना करे ताकि फ्रांस की स्थिति को सुधारा जा सके। नेपोलियन ने ऐसी विषम परिस्थिति में एक कुशल प्रशासक होने का परिचय दिया तथा अनेक सुधारों के द्वारा उसने फ्रांस की स्थिति में सुधार किया। नेपोलियन की सुधारवादी नीति में चार तथ्यों पर विशेष बल दिया गया था। ये थे- केन्द्रीकरण (Centralization), आर्थिक स्थिति में सुधार करना (Strong Economic Condition), समझौता करना (Conciliation) तथा सक्षम प्रशासन (Efficient Administrative System)।

नेपोलियन ने प्रथम कान्सल के रूप में निम्नलिखित सुधार किये:-

(1) **सामाजिक समानता (Social Equality)**:- नेपोलियन ने स्वतंत्रता (Liberty) की अपेक्षा समानता (Equality) को अधिक महत्व दिया। नेपोलियन ने उच्च एवं निम्न वर्गों के भेद को समाप्त कर दिया। अपनी योग्यता के बल पर कोई भी व्यक्ति शासन के समस्त पदों को प्राप्त कर सकता था। इसके अतिरिक्त नेपोलियन ने फ्रांस से भागे हुए कुलीनों एवं पादरियों के विरुद्ध पारित किये गये कानूनों का अंत करके उन्हें क्षमा प्रदान कर दी जिससे 40 हजार से भी अधिक परिवार फ्रांस में पुनः आ गये।

(2) **सार्वजनिक कार्य (Public works)**:- नवीन सड़कों का निर्माण किया गया तथा पुरानी सड़कों को सुधारा गया। सिंचाई के उद्देश्य से नहरों की व्यवस्था की गयी। इसके अतिरिक्त पेरिस के सौन्दर्यीकरण का कार्य भी इन वर्षों में नेपोलियन ने कराया। अनेक सुन्दर भवनों का निर्माण, मार्गों के किनारे वृक्षारोपण एवं सुन्दर सड़कें इसी उद्देश्य से बनवायी गयी। राजमहलों को भी सुसज्जित किया गया तथा विभिन्न देशों से लायी गयी कलाकृतियों का संग्रह भी नेपोलियन द्वारा फ्रांस में कराया गया।

(3) **प्रशासन में सुधार (Reforms in the Administration)**:- नेपोलियन का मानना था कि "फ्रांस के लोग स्वतंत्रता के नहीं, बल्कि समानता के इच्छुक हैं।" अतः उसने 1800 ई. में प्रशासन की सम्पूर्ण शक्ति को अपने हाथों में केन्द्रीत कर लिया। इस प्रकार वह फ्रांस में कोई भी सुधार कर सकता था। उसने एक नवीन बनाया जिसके द्वारा स्थानीय संस्थाओं (Local Institution) को केन्द्र के अधीन कर दिया। अब प्रत्येक विभाग प्रीफेक्ट (Prefact) के जिला (Arrondisement) सब-प्रिफेक्ट (Sub-Prefect) तथा कम्यून 'मेयर' के अधीन होता था। इन सभी अधिकारियों नियुक्ति नेपोलियन ने स्वयं की तथा उन्हें केन्द्र के अधीन ही कार्य करना था। इन अधिकारियों की सहायता के लिए निर्वाचित परिषदों की स्थापना भी की गयी जिनका कार्य मुख्यतया अपने स्थानों के लिए राष्ट्रीय करों को तय करना था। इस प्रकार नेपोलियन की इस नीति के विषय में हाल तथा रोज ने लिखा है, "इस प्रकार फ्रांस में स्थानीय प्रशासन के स्थान पर प्रशासनिक निरंकुशता की स्थापना हुई जिसने राजनीतिक निरंकुशवाद के मार्ग को प्रशस्त किया।"

(4) न्याय एवं दण्ड व्यवस्था (Judiciary and the Punishments):—

नेपोलियन ने न्याय एवं दण्ड व्यवस्था को सुधारने के भी व्यापक प्रयास किये। अनेक सिविल एवं दण्ड न्यायालयों की स्थापना की गई। न्यायाधीशों की नियुक्ति का कार्य नेपोलियन स्वयं करता था। इस प्रकार न्याय व्यवस्था को भी केन्द्र के अधीन ही रखा गया। नेपोलियन का दण्ड-विधान बहुत कठोर था। साधारण अपराधों के लिए भी मृत्युदण्ड की व्यवस्था थी। नेपोलियन ने क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए मुद्रित पत्रों (Letters de cathet) का पुनः प्रचलन किया। नेपोलियन ने जूरी की प्रथा भी प्रारम्भ की। नवीन दण्ड व्यवस्था में यह भी व्यवस्था की गयी कि कोई भी मुकदमा गुप्त रूप से नहीं हो सकता था। इस व्यवस्था की एक कमी यह थी कि अवैध कारावास को रोकने के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया था।

(5) प्रतिष्ठा मण्डल की स्थापना (Legion of Honour Established):—

इसके अन्तर्गत योग्यता के आधार पर इस मण्डल में कुलीनों को सम्मिलित किया जाता था। यह कार्य नेपोलियन ने फ्रांसीसियों में स्वयं के प्रति आदर की भावना जाग्रत करने के उद्देश्य से किया था। यह उपाधि उन्हीं लोगों को दी जाती थी जिन्होंने कोई असाधारण अथवा वीरता पूर्ण कार्य किया हो। इस प्रकार भूमि खण्डों के पुरस्कार द्वारा उसने एक नवीन कुलीनता का विकास किया।

(6) प्रेस पर प्रतिबंध (Press Censorship):— नेपोलियन ने प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगा दिया। प्रेस अपनी इच्छा से कुछ भी छापने के लिए स्वतंत्र नहीं थी। प्रेस पर नियंत्रण रखने के लिए दो सेंसर बोर्ड नियुक्त किये गये थे। इस कारण अनेक अखबारों का प्रकाशन बंद हो गया।

(7) शिक्षा के क्षेत्र में सुधार (Educational Reforms):— नेपोलियन शिक्षा के महत्व से अच्छी तरह परिचित था। अतः उसने शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर दिया। उसका मानना था कि शिक्षा पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण परिवर्तन के लिए आवश्यक है। अतः 1802 ई० में नेपोलियन ने शिक्षा को चर्च के हाथों से निकालकर राज्य के अधीन कर दिया। तत्पश्चात् नेपोलियन ने चार प्रकार की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की — प्राइमरी स्कूल या प्राथमिक अथवा ग्रामर स्कूल, हाई स्कूल और विशेष स्कूल। विशेष स्कूलों की व्यवस्था की गयी थी। प्रथम, जिनमें कला तथा विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी; द्वितीय, जिसमें व्यवसायिक शिक्षा का प्रबंध था, उदाहरणार्थ — सैनिक स्कूल, सिविल सेवा स्कूल आदि।

उपर्युक्त सुधारों के अतिरिक्त अध्यापकों को अध्ययन कार्य में शिक्षित बनाने के लिए प्रशिक्षण केन्द्र की भी स्थापना की गयी। 1808 ई० में पेरिस में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसमें जर्मन, फ्रेंच साधारण विज्ञान तथा गणित इत्यादि की शिक्षा दी जाती थी। नेपोलियन ने सभी विद्यालयों में राष्ट्रप्रेम एवं देश भक्ति की शिक्षा अनिवार्य कर दी। नेपोलियन ने राजनीति एवं नैतिक विज्ञान विषयों को बंद करवा दिया।

(8) सैन्य व्यवस्था (Military Organization) :- नेपोलियन ने सैन्य व्यवस्था में भी पर्याप्त सुधार किए। उसने सैनिक सेवा को अनिवार्य बना दिया तथा अनेक देशों में उन्हीं के खर्चे पर सेना रखकर फ्रांस की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया।

(9) आर्थिक सुधार (Economic Reforms) :- फ्रांस की आर्थिक स्थिति लुई XVI के शासनकाल से खराब हो चुकी थी तथा वह निरंतर बिगड़ती जा रही थी। प्रथम कान्सल बनने के बाद नेपोलियन ने इस ओर विशेष ध्यान दिया। सर्वप्रथम, कर वसूलने का कार्य केन्द्रीय सरकार को सौंप कर बेकारों को कार्य दिलाने का प्रबंध किया गया। फ्रांस की साख दृढ़ करने के उद्देश्य से Bank of France की स्थापना की गई।

नेपोलियन ने फ्रांस के व्यय को भी कम किया। अनावश्यक खर्चों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1802 ई. में Chamber of Commerce की स्थापना की गई। नेपोलियन ने फ्रांस के सभी नागरिकों पर कर भी लगाया। भ्रष्ट अधिकारियों को दण्डित किया गया। इस प्रकार नेपोलियन के निरंतर प्रयासों से फ्रांस की आर्थिक स्थिति आश्चर्यजनक ढंग से सुधरी।

(10) धार्मिक सुधार (Religious Reforms) :- फ्रांस की जनता चर्च की विरोधी थी। उनका विचार था कि चर्च का कार्य जनसाधारण का शोषण करना ही है। चर्च में सुधार की दृष्टि से 'पादरी-विधान' (Constitution of clergy) पारित किया गया था, किन्तु अधिकांश जनता इस विधान के विरुद्ध थी। अतः नेपोलियन ने जुलाई 1801 ई. में पोप से समझौता कर लिया। इस समझौते को कांकार्ड (Concodart) कहा जाता है। समझौते के अनुसार निम्न निर्णय लिए गये—

(i) पोप ने चर्च की जब्त की गयी सम्पत्ति तथा भूमि पर से अपना अधिकार त्याग दिया।

(ii) शिक्षा संस्थाओं पर राज्य का नियंत्रण स्वीकार किया गया।

(iii) राज्य की आज्ञा के बिना कोई पादरी देश से बाहर आ जा नहीं सकता था। बिशप परस्पर अथवा पोप से पत्र-व्यवहार नहीं कर सकते थे।

(iv) पादरियों को राज्य के प्रति भक्ति की शपथ लेना आवश्यक था। देश के सभी गिरजाघरों पर राज्य का अधिकार हो गया।

(v) क्रांति के समय गिरफ्तार सभी पादरियों को मुक्त कर दिया गया तथा देश छोड़कर भागे हुए पादरियों को पुनः फ्रांस लौटने की अनुमति दे दी गयी।

(vi) कैथोलिक धर्म को राजधर्म स्वीकार कर लिया गया तथा कैथोलिक चर्च को सार्वजनिक पूजा का अधिकार दे दिया गया। इस प्रकार चर्च राज्य का एक अंग बन गया।

इस समझौते से जनसाधारण को बहुत संतोष हुआ। एक तो लोगों को अपने धर्म पर निर्विघ्न आचरण करने का अधिकार मिल गया तथा दूसरे क्रांति के दिनों में चर्च की जो भूमि उन्होंने खरीद ली थी, उस पर उनका विधिवत अधिकार हो गया।

S.V. [signature] 4.8.2020

...... जारी है →